संख्या-55/18-4-2025-11(विविध)/12टी0सी0

प्रेषक,

सुनील कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उ0प्र0
कानपुर।

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 22 जनवरी,2025

विषय- वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-003 के अंतर्गत **"हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना"** के क्रियान्वयन हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर आयुक्त उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0प्र0, कानपुर के पत्र संख्या-1109/13-हस्त0/बजट/2024-25, दिनांक 17-01-2025 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-003 के अंतर्गत हस्तशिल्प विपणन प्रोत्साहन योजना के क्रियान्वयन हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 200.00 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या-286/18-4-2025-11(विविध)/12टी0सी0, दिनांक 02.05.2024 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में धनराशि रू0 50.00 लाख मात्र स्वीकृत की गयी थी। प्रश्नगत योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि में से पूर्व में उक्त शासनादेश दिनांक 02.05.2024 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि रू0 50.00 लाख को घटाने के फलस्वरूप उक्त मद में अवशेष धनराशि रू0 150.00 लाख (रू0 एक करोड़ पचास लाख) मात्र की वित्तीय स्वीकृति द्वितीय/अन्तिम किश्त के रूप में इस शर्त के साथ निर्गत करने एवं व्ययार्थ धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की एतद्द्वारा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है कि इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि रू0 150.00 लाख से संबंधित सदुपयोगिता प्रमाण पत्र/व्यय विवरण धनराशि व्यय होने के एक माह के अंदर आप द्वारा शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिया जायेगा एवं इस शासनादेश की अन्य महत्वपूर्ण शर्ते/ प्रतिबंध अग्रांकित है :-

(1) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि सक्षम अधिकारी की वास्तविक मांग पर आहरित की जायेगी तथा उक्त धनराशि केवल उपर्युक्त स्वीकृत योजना पर ही व्यय की जायेगी। किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि अथवा उसके किसी अंश का उपयोग अन्य मदों/अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु नही किया जायेगा।

(2) उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण करने के पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत योजना/कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा है।

(3) योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/डिपार्टमेंट खाता में जमा नहीं किया जायेगा।

(4) उपरोक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष होने वाले व्यय का नियंत्रण, वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 6 जून,1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(5) व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्यतिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य मानको (स्टैण्डर्डस ऑफ फाईनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के सम्बंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सुसंगत शासनादेशों में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित करने के साथ ही प्रश्नगत योजना के क्रियान्वयन हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा समय समय पर जारी किये गये सुसंगत शासनादेशों द्वारा प्रदत्त निर्देशों का भी कड़ाई से अनुपालन करते हुए नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(7) स्वीकृत धनराशि का मदवार मासिक व्यय विवरण शासन के विशेष सचिव वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग उ0प्र0 शासन को प्रपत्र बी-एम-13 में पूर्णतया भरकर उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-1 एवं 2 उ0प्र0 प्रयागराज/ लखनऊ तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग उ0प्र0 शासन को धनराशि व्यय किये जाने के एक माह के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

(9) उक्तानुसार स्वीकृत की जा रही धनराशि से सामग्री उपकरण आदि के क्रय हेतु सामग्री क्रय के संबंध में समय समय पर निर्गत सुसंगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

2- उक्त कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-003 के अधीन लेखाशीर्षक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-102-लघु उद्योग-22-हस्तशिल्प

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

विपणन प्रोत्साहन योजना-27-सब्सिडी" (लेखाशीर्षक-15 अंकों में 2851-00-102-22-00-27) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अंतर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुनील कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

संख्या-55(1)/18-4-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज/लखनऊ ।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 प्रयागराज/लखनऊ ।
3- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा-।)सी0ए0एस0एस0-3/टी0डी0ए0 कोआर्डिनेशन, उ0प्र0 प्रयागराज/लखनऊ ।
4- कोषाधिकारी, कानपुर/लखनऊ ।
5- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ ।
6- अपर आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 उद्योग निदेशालय, कानपुर/लखनऊ।
8-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनु0-1, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनु0-2/3
9-उप सचिव (श्री पुष्पेन्द्र सिंह) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ0प्र0 शासन को ऑनलाइन बजट एलाटमेण्ट सिस्टम में प्रविष्टि हेतु ।
10-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।